



Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001
Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web:

www.dfccil.gov.in

No. 2018/HQ/Admin/RTI-478

New Delhi: 02.11.2018

Shri Vishnu Swaroop Tiwari
"Saroj Babu"
S/o Late Sh. Shyam Manohar
R/o Ward No. 5 Durgesh Nagar
Jhinhak Kanpur
UP-209302
Mobile-9935927096

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

Reference: Your RTI Application dated 16.10.18 received on 23.10.18.

Information i. r. o. your above RTI application as received is attached as Annex "A".

Hope the above information is complete and satisfactory. If not, then you can appeal within 30 days of receipt of the letter to the 1st Appellate Authority whose name and address is as under;

Shri Satish Kothari, GGM/Administration DFCCIL,
5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building, New Delhi-110001.

(S.K.PANDA)

Dy. G.M./Admn.(PIO)

E-mail: skpanda@dfcc.co.in

9717636811

DA: 02 Sheets

Copy to:

Chief Project Manager,
DFCCIL, 3/20, 3rd Floor,
KPS Tower, Mayur Complex,
Nagla Padi, Near Tulsi Cinema,
NH-02, Agra-282 002

For information & Record only



डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

पत्रांक: CNB/EN/RTI/16(A)

Date- 26-10-18

सेवा में,

मुख्य परियोजना प्रबन्धक,
डी०एफ०सी०सी०आई०एल०,
दुण्डला (भागरा)

विषय :- श्री विष्णु स्वरूप तिवारी 'सरोज बाबू', पुत्र स्व श्याम मनोहर उर्फ छन्नूबाबू तिवारी, नि० वार्ड नं० 05 दुर्गेश नगर झींझक, डेरापुर, कानपुर देहात द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- डिप्टी जी०एम०/एम्पीन/पी०आई०ओ० का पत्रांक सं० 2018/ HQ/ADMIN/RTI-478 Dated 24.10.18

महोदय,

श्री विष्णु स्वरूप तिवारी 'सरोज बाबू', पुत्र स्व श्याम मनोहर उर्फ छन्नूबाबू तिवारी, नि० वार्ड नं० 05 दुर्गेश नगर झींझक, डेरापुर, कानपुर देहात का दिनांक 16.10.2018 पत्र डी०जी०एम०/एडमीन (पी०आई०ओ०) का पत्रांक सं० 2018/ HQ/ADMIN/RTI-478 दिनांक 24.10.18 संलग्नक के रूप में प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र जो जनसूचना अधिकारी/मुख्य जनसूचना अधिकारी, डी०एफ०सी०सी० नई दिल्ली सम्बोधित है, इस कार्यालय में, ई-मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसमें जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत 04 प्रस्तरों पर सूचना मांगी गई है, जिसके सम्बन्ध में प्रस्तरवार आख्या निम्नलिखित है:-

1. डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० (रेल मंत्रालय) भारत सरकार की विशेष पूर्वी नालभाड़ा परियोजना हेतु ग्राम-झींझक, तहसील-डेरापुर, जिला-कानपुर देहात की एलाइमेंट में आने वाली भूमि का अर्जन रेलवे (संशोधित) अधिनियम 2008 के अर्न्तगत किया गया है, जिसमें उक्त ग्राम का गाटा सं० 107 रकबा 0.0320 हे० प्रभावित है। उक्त अधिनियम की धारा 20ई के प्रकाशन के उपरान्त इस धारा में उल्लिखित प्रावधानानुसार प्रकाशित भूमि नियमानुसार भारत सरकार में निहित हो जाती है। 20ई की अधिसूचना के प्रकाशन के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्य आवश्यक कार्यवाही निरस्पादित करते हुए अर्जित भूमि का नामांकन राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराया गया है।
2. बिना प्रतिकर के भुगतान किये रेल मंत्रालय भारत सरकार के पक्ष में भूमि का नामांकन राजस्व अभिलेख में कराये जाने के लिये कोई अधिकारी दोषी/जिम्मेदार नहीं है। भूमि का हस्तारण रेल मंत्रालय भारत सरकार रेलवे (संशोधित) अधिनियम 2008 के द्रव्य अधिकारों के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा कराया गया है।
3. गाटा सं० 107, ग्राम-झींझक, तहसील-डेरापुर, जिला-कानपुर देहात के प्रतिकर का भुगतान अपेक्षित औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण संभव नहीं हो सका। सम्बन्धित भूस्वामियों से प्राप्त हिस्साकशी गलत होने के कारण ही भुगतान में विलम्ब हुआ है। तहसीलदार, डेरापुर, कानपुर देहात से वास्तविक हिस्साकशी दिनांक 23.10.2018 को प्राप्त हुई है, जिसके अनुरूप सम्बन्धित भूस्वामियों के अंश के अनुरूप प्रतिकर के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

Page 1 of 2

Office Of Dy.Chief Project Manager:-117/H2/180 Block, Pandu Nagar, Kanpur - 208025
Telefax: 0512-2225124 Mobile 7060803012 E mail -- bsjaryal@dfcc.co.in, Website www.dfccil.gov.in

4. उपरोक्त प्रस्तारों में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है कि प्रतिकर के भुगतान की औपचारिकताएं पूर्ण न हो पाने के कारण भुगतान किये जाने में विलम्ब हुआ है। इसके लिए डी0एफ0सी0सी0 का कोई अधिकारी दोषी/ जिम्मेदार नहीं हैं।

कृपया प्रस्तरवार वांछित सूचनाएं से अवगत होते हुए अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

38

26/10/2008

उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक
डी.एफ.सी.सी.आई.एल/कानपुर।